भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-178

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों का स्तरोन्नयन

178. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) झुंझुनू सहित राजस्थान में योजना के अंतर्गत स्तरोन्नयन किए गए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या कितनी है; और
(ङ) वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना में आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसे 2018-19 से लागू किया जा रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा दायरा शामिल है। यह योजना स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना न केवल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरुप बनाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। एनईपी 2020 के अनुरूप निम्नलिखित घटकों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान हैं:

- एनईपी 2020 की सिफारिश को लागू करना;

- आरटीई अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करना;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर ध्यान केंद्रित करना;
- मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान पर बल देना;
- समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र पर बल देना;
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना;
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना;
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेश सुनिश्चित करना;
- एससीईआरटी/एसआईई और डीआईईटी को सुदृढ़ और उन्नत करना;
- स्कूल शिक्षा के प्रावधानों में सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल अधिगम का माहौल और न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने हेतु बढ़ावा देना।

विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिसमें एनईपी कार्यान्वयन के लिए सार्थक (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति), बुनियादी साक्षरता के लिए निपुण भारत, स्कूल की तैयारी के लिए विद्या प्रवेश और निष्ठा कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलें शामिल हैं। उल्लेखनीय घटनाक्रमों में फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) का शुभारंभ शामिल है। मूल्यांकन के लिए परख, पीएम ई-विद्या के तहत दीक्षा और शिक्षा के विस्तार के लिए स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल जैसी पहलें की गई हैं। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए डीआईईटी उत्कृष्टता केंद्र, केजीबीवी स्कूल, 10 बैगलेस डेज़ दिशा-निर्देश और करियर मार्गदर्शन संसाधनों जैसी अतिरिक्त परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, देश के अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जमीनी स्तर पर ऐसी योजनाओं की अवधारणा, कार्यान्वयन और उन्हें साकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, यह केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारत की मानकीकृत एकीकृत शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ राज्यों की क्षेत्रीय विविधताओं को भी बरकरार रखा जाए।

(घ): राजस्थान में इस योजना के तहत स्तरोन्नत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का जिलावार ब्यौरा अनुलग्नक में है।

(ङ): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत आवंटित निधि और जारी किए गए केन्द्रीय भाग का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित निधियां	जारी किया गया केन्द्रीय भाग
2021-22	34671.73	24873.18
2022-23	44493.94	32151.94
2023-24	44872.27	32325.18
2024-25	45976.21	18531.16

******

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा 'राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों का स्तरोन्नयन' के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस योजना के तहत स्तरोन्नत विद्यालयों का जिलावार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	2022-23		2023-24	2024-25
		प्राथमिक विद्यालय का उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्तरोन्नयन	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का स्तरोन्नयन	प्राथमिक विद्यालय का उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्तरोन्नयन	प्राथमिक विद्यालय का उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्तरोन्नयन
1	अजमेर	11	9	1	0
2	अलवर	3	4	5	0
3	बांसवाड़ा	0	15	11	0
4	बरन	0	6	1	0
5	बाड़मेर	38	24	12	0
6	भरतपुर	0	2	10	1
7	भीलवाड़ा	0	12	2	1
8	बीकानेर	13	10	0	1
9	बूंदी	0	11	0	0
10	चितौड़गढ़	9	1	0	1
11	चुरू	4	4	0	0
12	दौसा	0	10	0	0
13	धौलपुर	0	10	4	0
14	डूंगरपुर	7	11	3	0
15	गंगानगर	0	1	0	0
16	हनुमानगढ़	4	0	0	0
17	जयपुर	2	18	0	0
18	जैसलमेर	26	1	1	2
19	जालोर	1	17	1	0
20	झालावाड़	0	6	1	2
21	झुंझुनू	0	0	1	0
22	जोधपुर	36	18	6	1
23	करौली	1	4	1	0
24	कोटा	0	2	0	0
25	नागौर	13	3	0	0
26	पाली	0	10	1	0
27	प्रतापगढ़ (राज.)	0	15	2	0
28	राजसमंद	0	9	1	0
29	सवाई माधोपुर	0	3	0	0
30	सीकर	2	1	0	0
31	सिरोही	0	5	6	2
32	टोंक	0	3	1	0
33	उदयपुर	17	17	7	3

नोट: राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 में किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्तरोन्नयन नहीं किया गया है